अध्यापक शिक्षा पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की अनुशंसाओं का विश्लेषण एवं क्रियान्वयन की संभावित रूपरेखा

सोमू सिंह*

भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को सदैव उच्चतम मानवीय लक्ष्य माना जाता है। हमारी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली ने आर्यभट्ट, सुश्रुत, चरक, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि, पाणिनि, गौतम, नागार्जुन, गार्गी, मैत्री और थिरुवल्लुवर जैसे अनेक महान विचारकों एवं विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने अपने मौलिक ज्ञान से जीवन के विविध क्षेत्रों में पूरे विश्व को प्रकाशित किया तथा उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। इसीलिए हमारे भारतीय समाज में गुरुओं की प्रतिष्ठा एवं उनके प्रति सम्मान सदैव रहा है। निरंतर परिवर्तित हो रहे समाज व परिस्थितियों ने न केवल गुरुओं या अध्यापकों के कार्य को चुनौतीपूर्ण बनाया है अपितु समस्त अध्यापक शिक्षा प्रणाली को भी प्रभावित किया है। इस लेख में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' में वर्तमान भारतीय अध्यापक शिक्षा व्यवस्था एवं विद्यालयी अध्यापकों की समकालीन एवं मूलभूत समस्याओं एवं चुनौतियों के संबोधन को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अध्यापक शिक्षा के नए स्वरूप के समस्त पहलुओं एवं संभावित परिवर्तनों हेतु उल्लिखित महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों यथा नवीन एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के स्वरूप, अध्यापक शिक्षा का बहु-विषयी वातावरण में आयोजन, मेरिट होल्डर अध्यापक-प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति, सेवा-पूर्व एवं सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण में परिवर्तन के एन.पी.एस.टी. का निर्माण इत्यादि का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के क्रियान्वयन हेतु सार्थक दस्तावेज़ के आधार पर शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अभी तक की गई 'विद्यालयी अध्यापकों एवं अध्यापक शिक्षा से जुड़ी पहलों' पर भी चर्चा की गई है। साथ ही, लेख में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' की अध्यापक शिक्षा पर अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की सुझावात्मक रूपरेखा व अन्य विचारणीय पहलू भी दिए गए हैं।

प्रकृति के शाश्वत नियम 'परिवर्तन' ने मानव जीवन को व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों रूपों में बहुत बदला है। इन परिवर्तनों व नवीन चुनौतियों ने हमें आत्म मूल्यांकन करने की ओर प्रेरित किया। भारत द्वारा वर्ष 2015 में सतत विकास एजेंडा 2030 का लक्ष्य 4 (एस.डी.जी. 4) "सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने" का लक्ष्य अपनाया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली

* *असिस्टेंट प्रोफेसर,* शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221010

में एक सकारात्मक एवं वांछनीय परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस किया गया। शिक्षा को व्यक्ति के उच्चतम विकास को प्राप्त करने, एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण और नागरिकों में राष्ट्रप्रेम की भावना को बढ़ावा देने के लिए आधार माना जाता है और इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट अध्यापकों की सक्रिय भूमिका तथा गुणवत्तापूर्ण अध्यापक शिक्षा प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर वर्तमान *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में भी अध्यापकों को सामाजिक प्रगति व विकास की धुरी मानते हुए उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सतत पेशेवर विकास सहित उनकी सेवा शर्तों को बेहतर करने हेतु कई महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें की गई हैं। देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने, भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने तथा इक्कीसवीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर यह संदेश दिया कि शिक्षा उसके एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण है। अध्यापक शिक्षा को भी पूर्ण रूप से बहु-विषयक वातावरण युक्त उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थापित करने व इसे विद्यालयी शिक्षा के तुरंत बाद विद्यार्थियों हेतु सुलभ बनाने के साथ विद्यालयी अध्यापकों की सेवा शर्तों को बेहतर करने हेतु कई महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें की हैं। सरकार द्वारा इस नीति को जारी करने के तुरंत बाद 'सार्थक' नाम से इस नीति को लागू करने की कार्य योजना भी जारी की गई है। जिसके परिणामस्वरूप अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। फिर भी, इस लेख में अध्यापक शिक्षा की उन समकालीन समस्याओं एवं चुनौतियों की चर्चा की गई है, जिनके लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कई सुझाव दिए हैं।

अध्यापक शिक्षा की समकालीन समस्याएँ व चुनौतियाँ

- देश में विद्यालयी अध्यापक बनने के लिए विद्यार्थियों को अध्यापक शिक्षा में उपयुक्त योग्यता/डिग्री यथा बी.एड. या डी.एल.एड. की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद केंद्र या राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा को उत्तीर्ण करना होता है अर्थात केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें अपनी आवश्यकतानुसार गुणवत्तापूर्ण अध्यापकों की नियुक्ति हेतु सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों में से विद्यालयी अध्यापक बनने हेतु अर्ह (Eligible) अभ्यर्थियों की पहचान करती हैं। इसीलिए शिक्षण के उच्च मानदंडों एवं कसौटियों को ध्यान में रखकर अध्यापक पात्रता परीक्षा के स्वरूप व न्यूनतम प्राप्तांक का निर्धारण किया गया है। इस परीक्षा के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि सेवा-पूर्व शिक्षा प्राप्त कर चुके कुल विद्यार्थियों में से कितने अभ्यर्थी अध्यापक बनने हेतु अर्ह हैं। इससे सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता का भी आकलन किया जा सकता है। तालिका 1 में केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए कुल अभ्यर्थियों के सापेक्ष उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1 — वर्षवार केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या एवं उत्तीर्ण प्रतिशत

परीक्षा वर्ष	केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थी	उत्तीर्ण प्रतिशत
2011	6,99,421	97,919	14.00
2018	19,51,970	3,05,241	15.64
2019	24,05,145	5,42,285	22.54
2021	23,51,671	6,54,299	27.82

स्रोत — केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रतिष्ठित समाचार पत्रों की वेबसाइट

तालिका 1 में दर्शाए गए आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011, 2018, 2019 एवं 2021 में केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित कुल अभ्यर्थियों में से क्रमशः 14 प्रतिशत, 15.64 प्रतिशत, 22.54 प्रतिशत एवं 27.82 प्रतिशत अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण कर सके। अत: इन आँकड़ों के विश्लेषण से यह सुस्पष्ट है कि अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों में से अध्यापक बनने की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत कम है। जो सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शा रहे हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा के आयोजन व उसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत ने शुरुआत से ही शिक्षा विशेषज्ञों एवं अध्यापक प्रशिक्षकों का गुणवत्ता की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया व अध्यापक शिक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा हेतु विवश किया। अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे विद्वानों ने समय-समय पर अध्यापक शिक्षा की समस्याओं व चुनौतियों को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में भारत के विभिन्न राज्यों में अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में हुए कुछ शोध अध्ययनों का उल्लेख करना समीचीन है। जिनके परिणामों के माध्यम से विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों में अध्यापक शिक्षा की समस्याओं व चुनौतियों को प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किया जा सके।

केरल राज्य में माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान जिसको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा द्वारा अस्थायी मान्यता प्रदान की गई थी, वे पूर्णत: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की आवश्यक एवं निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं करते थे। अधिकांश संस्थान अपर्याप्त कार्मिकों एवं कम सुविधाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। यद्यपि कुछ संस्थान 25 वर्षों से कार्य कर रहे थे। वह भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुरूप नहीं थे (गफूर व नसीमा, 2001)। आंध्र प्रदेश में प्रारम्भिक विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अधिकांश अध्यापक शिक्षा संस्थानों के पास आवश्यक भौतिक सुविधाएँ नहीं थीं (रेडी, 1991)। महाराष्ट्र के माध्यमिक स्तरीय अध्यापक शिक्षा संस्थानों में नवाचारी विधियों का प्रयोग बहुत कम होता है (नागपुरे, 1991)। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के शासकीय सहायता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में आधारभूत संरचना एवं भौतिक संसाधनों की स्थिति स्व-वित्तपोषित अध्यापक शिक्षा संस्थानों

की तुलना में अपर्याप्त है। स्व-वित्तपोषित अध्यापक शिक्षा संस्थानों में मानव संसाधनों की स्थिति बहुत दयनीय है। शासकीय सहायता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में पर्याप्त मानव संसाधन हैं जबकि स्व-वित्तपोषित अध्यापक शिक्षा संस्थानों में दयनीय स्थिति है (सिंह, 2013)।

- अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापन, सेवा शर्तें और अध्यापकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप अध्यापकों की गुणवत्ता और उत्साह वांछित मानकों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अध्यापकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति आदर और सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना होगा ताकि शिक्षण व्यवसाय में बेहतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके (*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*)।
- भारत में अध्यापक शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या युवाओं एवं विद्यार्थियों के बीच शिक्षण पेशे की लोकप्रियता कम होना एवं समाज में शिक्षण पेशे की निरंतर कम होती प्रतिष्ठा है। वर्तमान समय में जो भी युवा शिक्षण पेशे का चयन कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश में शिक्षण अभिक्षमता और शिक्षकीय अभिवृत्ति अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है। बेरोज़गारी और प्रतिस्पर्धा के कारण अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल होकर वे अंतिम चयन अथवा विकल्प के रूप में शिक्षण पेशे का चयन कर रहे हैं। यह उनके लिए सरकारी नौकरी पाने का एक माध्यम बन गया है। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा का स्वरूप भी ऐसा है कि उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अधिकांश विद्यार्थी आसानी से प्रवेश पा लेते हैं क्योंकि उसमें सामान्य ज्ञान एवं मानसिक योग्यता संबंधी प्रश्न पर्याप्त होते हैं। वर्तमान प्रवेश प्रणाली में भाषागत एवं अभिव्यक्ति संबंधी योग्यताओं के आकलन की उचित व्यवस्था नहीं है (भट्टाचार्या, 2020)।
- अध्यापक शिक्षा संस्थानों में अगर हम आधारभूत ढाँचा एवं शैक्षणिक सुविधाओं का विश्लेषण करें तो पाएँगे कि ऐसे अध्यापक शिक्षा संस्थान हैं जो विद्यालयी अध्यापक बनने की अर्हता पाठ्यक्रम 'डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (डी.एल.एड.) एवं बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.)' को संचालित कर रहे हैं, वहाँ पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय का अध्ययन या अध्यापन नहीं होता है। जिसके कारण वहाँ पर बहु-विषय शैक्षणिक वातावरण का अभाव है। माध्यमिक अध्यापक शिक्षा संस्थान जो कि बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) की डिग्री प्रदान कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश विश्वविद्यालय परिसर से बाहर हैं व प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थान जिनमें कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी शामिल हैं जो कि डिप्लोमा इन एजुकेशन (डी.एड.) कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, वह भी विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए नहीं हैं। इस प्रकार अध्यापक शिक्षा संस्थान एक बंद वातावरण में अध्यापकों की शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। केवल अध्यापक शिक्षा के लिए संचालित अध्यापक शिक्षा संस्थानों का यह वातावरण उन विद्यार्थियों को शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़कर सीखने से वंचित कर रहा है, जो कि उन्हें परास्नातक स्तर के अध्ययन एवं शोध से प्राप्त हो सकता है (जस्टिस वर्मा आयोग प्रतिवेदन, 2012)।

- अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अद्यतन आधारभूत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2014 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नए मानक एवं विनियमन आने के बाद भी अभी तक इंटर्नशिप /शिक्षण अभ्यास का कोई एक सर्वस्वीकृत मॉडल नहीं बन पाया है, जिसे विश्वासपूर्वक लागू किया जा सके। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् भी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में इंटर्नशिप का मॉडल प्रस्तुत नहीं कर सकी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा एवं अध्यापकों की सेवा शर्तों संबंधी उपरोक्त समस्याओं को हल करने के लिए महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें एवं प्रावधान किए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं—

1. सबसे पहले तो यह चर्चा करना आवश्यक है कि *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* दस्तावेज़ के आरंभ में ही यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, "हर स्तर पर अध्यापकों को समाज के सर्वाधिक सम्माननीय और अनिवार्य सदस्य के रूप में फिर से स्थान देने में सहायता करनी होगी क्योंकि शिक्षा नागरिकों की हमारी अगली पीढ़ी को सही मायने में आकार देती है। इस नीति द्वारा अध्यापकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है जिससे वे अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हर स्तर पर शिक्षण पेशे में सबसे होनहार लोगों के चयन करने में सहायता करेगी जिसके लिए उनकी आजीविका, सम्मान, मान मर्यादा और स्वायत्तता सुनिश्चित करनी होगी साथ ही तंत्र में गुणवत्ता नियंत्रण, जवाबदेही की बुनियादी प्रक्रियाएँ विस्थापित करनी होंगी" यह संकल्प लिया गया है।
2. शिक्षण पेशे को आकर्षक बनाने के लिए एवं प्रतिभाशाली युवाओं के बीच प्रथम वरीयता के रूप में इसे स्थापित करने के लिए इसमें कई सिफ़ारिशें की गई हैं यथा विद्यालय अध्यापक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता/अर्हता के रूप में 'चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम' पूरे देश में शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा। इस पाठ्यक्रम से जुड़ने वाले विद्यार्थी स्नातक स्तर के विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने के साथ-साथ उन विषयों के शिक्षणशास्त्र संबंधी ज्ञान एवं कौशल में भी दक्ष होंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए शिक्षण को एक पेशे के रूप में चुनने के लिए यह विकल्प कक्षा 12वीं के तुरंत बाद उपलब्ध होगा, इससे शिक्षण पेशा अन्य पेशों यथा चिकित्सा, अभियांत्रिकी इत्यादि की तरह विद्यार्थियों की पसंद सूची में शामिल हो जाएगा। चार वर्षीय बी.एड. एकीकृत पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (नेशनल टेस्टिंग एजेंसी) को ज़िम्मेदारी सौंपने की बात कही गई है और इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर इस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश मिलेगा।
3. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि वर्ष 2030 तक अध्यापक शिक्षा पूर्णतया बहु-विषयक महाविद्यालयों एवं बहु-विषयक विश्वविद्यालयों में संचालित होगी अर्थात ऐसे अध्यापक शिक्षा

संस्थान जो वर्तमान में केवल अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं और उनके यहाँ बहु-विषयक शैक्षणिक वातावरण एवं सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से अपने महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा संस्थान में बहु-विषयक वातावरण निर्मित करने के लिए आवश्यक आधारभूत ढाँचा तथा शैक्षणिक सुविधाओं को विकसित करना होगा, अर्थात स्वयं को 'बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थान' के रूप में रूपांतरित करना होगा। उच्च शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण सिफ़ारिश की गई है कि समस्त उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थानों में रूपांतरित होना होगा एवं ऐसे संस्थानों को जिनमें अभी तक शिक्षा विभाग स्थापित नहीं हुए हैं, अपने यहाँ शिक्षा विभागों की स्थापना करनी होगी एवं इस स्थापित 'शिक्षा विभाग' के माध्यम से बी.एड., एम.एड. एवं शिक्षाशास्त्र विषय में शोध की डिग्री प्रदान करनी होगी। इसका आशय यह है कि ऐसे अध्यापक शिक्षा संस्थान जहाँ पर अभी वर्तमान में बी.एड. और/या डी.एल.एड. संचालित होता है, उन्हें अपने यहाँ चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए स्नातक स्तर के डिग्री पाठ्यक्रम, यथा— बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. स्तर के सैद्धांतिक विषयों एवं प्रायोगिक कार्य हेतु शैक्षणिक सुविधाएँ एवं आधारभूत ढाँचा निर्मित करना होगा, तभी वे चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित कर पाएँगे। प्रत्येक 'बहु-विषयक उच्च शिक्षा संस्थान' के पास सरकारी एवं निजी विद्यालयों का एक नेटवर्क होगा, जिसमें वे बी.एड. पाठ्यक्रम से संबंधित इंटर्नशिप (शिक्षण अभ्यास) सुगमता से आयोजित कर सकेंगे।

4. इस बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान करने की सिफ़ारिश की गई है। यह पहल निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को शिक्षण व्यवसाय में लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे विद्यार्थियों की उनके संबंधित ग्रामीण परिवेश में ही नियुक्ति वरीयता के आधार पर की जाएगी और वह 'लोकल एरिया रोल मॉडल' के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे। साथ ही वह एक ऐसे दक्ष अध्यापक के रूप में कार्य करेंगे जो उस स्थानीय परिवेश की स्थानीय भाषा में भी निपुण हैं। ऐसे विद्यार्थी जो चार वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय अध्यापक की नौकरी के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप कई सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। विद्यालय के पास उचित आवास की व्यवस्था या उनके आवासीय भत्तों में वृद्धि की सिफ़ारिश की गई है।

5. अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा को अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए विषयवस्तु एवं शिक्षणशास्त्र संबंधी बेहतर परीक्षा सामग्री को सम्मिलित किया जाएगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा चारों विद्यालयी स्तर— फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल एवं सेकंडरी के लिए आयोजित की जाएगी एवं विषय अध्यापक की नियुक्ति में अध्यापक पात्रता परीक्षा अथवा राष्ट्रीय परीक्षा

एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षण में प्राप्त अंकों को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए वरीयता दी जाएगी।

6. अध्यापकों की अभिव्यक्ति योग्यता का आकलन करने के लिए कक्षा-कक्ष प्रदर्शन (डेमोंस्ट्रेशन) अथवा साक्षात्कार को विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की महत्वपूर्ण सिफ़ारिश की गई है। जिससे उनकी अभिव्यक्ति योग्यता का मूल्यांकन हो सके। विभिन्न विषयों यथा वोकेशनल विषयों के विद्यालयों में शिक्षण हेतु स्थानीय उत्कृष्ट एवं दक्ष नागरिकों को 'मास्टर इंस्ट्रक्टर' के रूप में नियुक्त कर उनकी सेवाएँ लेने की सिफ़ारिश की गई है। स्थानीय ज्ञान परंपरा एवं व्यवसायों को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में यह निर्णय लाभकारी सिद्ध होगा।

7. ब्लॉक स्तर पर विद्यालय संकुल के निर्माण की सिफ़ारिश लागू होने से अध्यापकों के बीच स्वस्थ संबंधों के निर्माण एवं सहयोग की भावना विकसित हो सकेगी। एकल विद्यालयों में अध्यापकों की समस्या का समाधान भी विद्यालय संकुल के बनने से आसानी से हो सकेगा। विद्यालय संकुल परामर्शदाताओं, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, तकनीकी कर्मचारियों इत्यादि का साझे तौर पर उपयोग विभिन्न विद्यालयों में कर सकेगा, इससे प्रभावशाली अधिगम वातावरण निर्मित होगा।

8. अध्यापकों को शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों में संलग्न न किए जाने की महत्वपूर्ण सिफ़ारिश की गई है ताकि वे अपने शिक्षण अधिगम पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

9. अध्यापकों को आत्म सुधार एवं अपने पेशे से जुड़े नवाचारों एवं नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त करने के सतत अवसर प्रदान किए जाएँगे। इस हेतु एक से अधिक माध्यमों और विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की सिफ़ारिश की गई है। जिसमें वे सीखने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ-साथ अपने स्वयं के विचार एवं अच्छे शिक्षण अभ्यासों को भी अपने अध्यापक साथियों के साथ आसानी से साझा कर सकेंगे। प्रत्येक अध्यापक से यह अपेक्षा की गई है कि वह साल भर में न्यूनतम 50 घंटे सतत पेशेवर विकास के अवसर में सहभागिता करेंगे। विद्यालयों एवं विद्यालय संकुल के प्रशासनिक दायित्व संभाल रहे व्यक्तियों के लिए नेतृत्व क्षमता एवं प्रबंधन कौशल को संवर्धित करने के लिए ऑनलाइन मोड में कार्यशालाओं का आयोजन करने की सिफ़ारिश की गई है। जिससे वे अपने नेतृत्व कौशल का विकास कर सकें तथा अपने अच्छे अनुभवों को अन्य नेतृत्वकर्ताओं के साथ साझा कर सकें। उनसे भी वर्ष में न्यूनतम 50 घंटे की सतत पेशेवर विकास गतिविधियों में शामिल होने की अपेक्षा की गई है, जिससे वे विशेष रूप से नेतृत्व कौशल एवं प्रबंधन क्षमता के साथ-साथ शिक्षणशास्त्र से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

10. अध्यापकों द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्यों एवं प्रभावशाली गतिविधियों को पहचान दिलाने एवं उनका प्रसार करने के लिए एक मेरिट आधारित पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि का स्पष्ट ढाँचा (जिसमें कई स्तर हों) प्रत्येक विद्यालयी स्तर हेतु विकसित करके लागू करने

की सिफ़ारिश की गई है। जिससे अध्यापकों को विद्यालयी शिक्षा के विशिष्ट स्तरों पर पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के भरपूर अवसर उपलब्ध हो सकें।

11. अध्यापकों की उपलब्धियों एवं गतिविधियों का उचित आकलन करने के लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित सरकारों द्वारा साथी मूल्यांकन, सतत पेशेवर विकास हेतु लगाए गए घंटे तथा विद्यालय एवं समाज के लिए प्रदान की गई उनकी सेवाओं के आधार पर विभिन्न कसौटियों के निर्माण का उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। अध्यापकों को स्थायी एवं नियमित होने से पूर्व प्रारंभ में परीक्षा काल हेतु निर्धारित एक निश्चित समय अवधि को पूरा करना होगा साथ ही साथ उनकी उपलब्धियों एवं योगदान का मूल्यांकन भी उनकी सेवा के नियमित व स्थायी होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

12. विद्यार्थियों को अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश लेते समय एवं शिक्षा के दौरान यह सुनिश्चित करना होगा कि वे विद्यालय के किस स्तर पर अध्यापक बनने के इच्छुक हैं, उसी के अनुरूप उन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही, उन्हें उसी स्तर की अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी एवं उनकी नियुक्ति भी वैधानिक भर्ती प्रक्रिया द्वारा उसी विद्यालयी स्तर के लिए होगी। उन्हें एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के लिए विभागीय स्तर पर विशेष प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं की गई है। इस प्रावधान का मुख्य आधार यह है कि विद्यालयी शिक्षा के प्रस्तावित चारों स्तरों (फाउंडेशनल, प्रीपेटरी, मिडिल एवं सेकंडरी) को एकसमान महत्व देने की बात कही गई है। क्योंकि चारों स्तर पर ही उच्चतम गुणवत्तायुक्त अध्यापकों की आवश्यकता है। अब दो तरह के अध्यापक होंगे— सामान्य अध्यापक एवं विषय अध्यापक। फाउंडेशनल एवं प्रीपेटरी स्टेज में अध्यापक 'सामान्य अध्यापक' एवं मिडिल अथवा सेकेंडरी स्टेज हेतु अध्यापक 'विषय अध्यापक' के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करेंगे। आँगनवाड़ी/बालवाटिका में वर्तमान में कार्यरत अर्ह व्यक्तियों को दूरस्थ विधि से प्रशिक्षित करके समायोजित किया जाएगा एवं उनकी भी सेवा शर्तों को बेहतर किया जाएगा।

13. विद्यालय में बेहतरीन सेवा देने पर ऐसे अध्यापकों को जो नेतृत्व एवं प्रबंधन कौशल में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें विद्यालय एवं विद्यालय संकुल, खंड संसाधन केंद्र, ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में अकादमिक नेतृत्व हेतु दायित्व प्रदान करने की सिफ़ारिश की गई है।

14. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2022 के अंत तक 'नेशनल प्रोफेशनल स्टेंडर्ड्स फॉर टीचर्स (एन.पी.एस.टी.)' विकसित किए जाएँगे। इनके विकास में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा विभिन्न क्षेत्रों से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ संस्थाओं एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों से विचार-विमर्श करके इनका निर्माण किया जाएगा। अध्यापक मानदंड के अंतर्गत विभिन्न विद्यालय स्तर एवं विषय विशेषज्ञता के स्तर

पर अध्यापकों की भूमिकाओं एवं उस विशेष विद्यालय स्तर के लिए आवश्यक दक्षताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की सिफ़ारिश की गई है। विभिन्न समय अंतराल पर अध्यापकों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रत्येक विद्यालय स्तर पर कैसे किया जाए? इस हेतु मानदंड विकसित करना भी एन.पी.एस.टी. के अंतर्गत आएगा। एन.पी.एस.टी. सेवा-पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के शैक्षणिक ढाँचे के बारे में भी इनपुट देगा। इन मानदंडों का निर्माण होने के बाद राज्य अपने विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की सेवाओं का प्रबंधन करने से जुड़े समस्त पक्षों का नियमन करने हेतु इनका अनुपालन करेंगे। अध्यापकों की पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि उनके सेवाकाल एवं वरिष्ठता के आधार पर न होकर इन अध्यापक मानदंडों के मूल्यांकन के आधार पर करने की सिफ़ारिश की गई है। इन अध्यापक मानदंडों की फिर से समीक्षा वर्ष 2030 में करने एवं इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पर करने की सिफ़ारिश की गई है। इसका प्रारंभिक ड्राफ्ट एन.सी.टी.ई. द्वारा तैयार करके सार्वजनिक कर दिया गया है व समस्त हितधारकों से सुझावों का संकलन एवं इस पर उच्च शिक्षा संस्थानों में खुला विमर्श जारी है।

15. दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष अध्यापकों की आवश्यकता पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में विशेष बल दिया गया है। इसके लिए दिव्यांग विद्यार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामान्य अध्यापकों अथवा विषय अध्यापकों को एक अतिरिक्त योग्यता अर्जित करने की सिफ़ारिश की गई है जिसे अध्यापक सेवा-पूर्व अथवा सेवारत रहते हुए चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. संचालित करने वाले 'बहु विषयक उच्च शिक्षा संस्थानों' से 'विशेष शिक्षा में प्रमाण-पत्र' के रूप में अर्जित कर सकते हैं। यह प्रमाण-पत्र कार्यक्रम नियमित अथवा पार्ट टाइम अथवा मिश्रित मोड में संचालित किए जा सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों के निर्माण एवं संचालन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् तथा पुनर्वास परिषद् दोनों समन्वय स्थापित करते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों की उपलब्धता आवश्यकता के अनुरूप रहे। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में विशेष अध्यापक बनने के लिए किसी भी प्रकार के बी.एड. (स्पेशल एजुकेशन) या डी.एल.एड. पाठ्यक्रम को संचालित करने की सिफ़ारिश नहीं की गई है। विशेष अध्यापक बनने के इच्छुक अभ्यर्थी चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद सेवा से पूर्व या सेवारत रहते हुए विशेष शिक्षा में प्रमाण-पत्र कोर्स पूरा करके विशेष अध्यापक बन सकते हैं।

16. अध्यापकों को विद्यालय स्तर के एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के लिए, बी.एड. पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद एक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी, जो बहु-विषयक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में संचालित किए जाएँगे। इसी प्रकार के प्रमाण-पत्र कार्यक्रम उन अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों के लिए भी संचालित किए जाएँगे जो शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों के शिक्षण में विशेषज्ञता अर्जित करने के इच्छुक हैं या विद्यालय व्यवस्था में नेतृत्व एवं प्रबंधन से जुड़े अकादमिक पद प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

17. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से समन्वय स्थापित करते हुए अध्यापक शिक्षा के लिए विस्तृत राष्ट्रीय शैक्षिक पाठयचर्या को निर्मित करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
18. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के पास भविष्य में रेगुलेटरी पावर/अधिकार नहीं होंगे। यह 'जनरल एजुकेशन काउंसिल' के अंतर्गत एक 'प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी' के रूप में कार्य करेगी तथा अध्यापक शिक्षा संस्थानों व अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों की अकादमिक व प्रोफेशनल ज़रूरतों को पूरा करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की सुझावात्मक रूपरेखा

- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ऐसे समस्त स्टैंड अलोन अध्यापक शिक्षा संस्थानों की सूची का निर्माण करे, जिन्हें अपने संस्थान में बहु-विषयक वातावरण का निर्माण करने हेतु संसाधनों की व्यवस्था करनी है। उन्हें समय सीमा देकर सुस्पष्ट एवं उचित निर्देश जारी करे जिससे कि वह अपने यहाँ बहु-विषयक वातावरण का निर्माण करके चार वर्षीय एकीकृत अध्यापक कार्यक्रम को संचालित कर सकें। साथ ही, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एवं भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय ऐसे समस्त विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों को चिह्नित करें, जो बहु-विषय वातावरण में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मुहैया करा रहे हैं और वहाँ पर शिक्षा विभाग या अध्यापक शिक्षा विभाग नहीं हैं, ऐसे समस्त उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने यहाँ अध्यापक शिक्षा विभाग स्थापित करने व एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करें।
- नवीन एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का कुछ चयनित अध्यापक शिक्षा संस्थानों में संचालन कर उनकी बहुमुखी प्रभावशीलता का अध्ययन किया जाए एवं फीडबैक के आधार पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में मानकों एवं विनियमन के साथ-साथ पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाए।
- सेवारत अध्यापक शिक्षा प्रदान करने में एस.सी.ई.आर.टी. डायट, बी.आर.सी., सी.आर.सी. एवं विश्वविद्यालय के शिक्षा विभागों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में डायट को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वह वोकेशनल एवं कलाओं में कुशल व दक्ष, स्थानीय नागरिकों को चिह्नित करे एवं उनका उपयोग एक मास्टर इंस्ट्रक्टर के रूप में उनके नज़दीकी विद्यालयों में करे। इस हेतु प्रत्येक ब्लॉक के लिए मास्टर इंस्ट्रक्टर ट्री (MIT) बनाया जाए। जिसमें प्रत्येक ब्लॉक का एक ट्री हो और उस ट्री में उस ब्लॉक के विद्यालयों के आसपास के स्थानीय नागरिकों को उनके कौशलों एवं दक्षताओं के अनुरूप उस ट्री की शाखाओं के रूप में जोड़कर प्रदर्शित किया जाए। एस.सी.ई.आर.टी. एवं डायट आपस में समन्वय स्थापित करके इन मास्टर इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर, एन.सी.ई.आर.टी. से परामर्श करके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से संबंधित मास्टर इंस्ट्रक्टर्स की समयबद्ध एवं व्यवस्थित प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करे। डायट की संबंधित जिले में स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रभावी

संचालन व क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका की अपेक्षा की गई है। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा में एस.सी.ई.आर.टी. एवं एन.सी.ई.आर.टी., डायट के सकाय सदस्यों का क्षमता संवर्धन करेंगे एवं मार्गदर्शन देंगे।

- विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग भी एक नोडल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य कर सकते हैं। वे विशेष रूप से माध्यमिक स्तर के अध्यापकों एवं शैक्षिक प्रशासकों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनके ज्ञान एवं कौशलों में संवर्धन कर सकते हैं।
- अध्यापक शिक्षा में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किए जाने का स्पष्ट प्रावधान हो, जिससे इन संस्थानों में अध्यापक शिक्षा डिजिटल माध्यमों से आसानी से प्रदान की जा सके।
- सभी प्रकार के अध्यापक शिक्षा संस्थानों एवं उनके स्थानीय परिवेश में उपलब्ध विद्यालयों में बेहतर समन्वय की रूपरेखा तैयार की जाए, जिससे इन विद्यालयों में विद्यार्थी-अध्यापकों का शिक्षण अभ्यास/इंटर्नशिप सुचारू रूप से संचालित हो सके।
- राज्य स्तर, जिला स्तर एवं खंड स्तर पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए, ताकि अध्यापकों, शैक्षिक प्रशासकों एवं समुदाय के बीच शिक्षा नीति तथा भारत सरकार द्वारा नीति के क्रियान्वयन हेतु शुरू की गई शैक्षिक पहलों के संबंध में चर्चा एवं विमर्श हो सके।
- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अध्यापकों की नियुक्ति अथवा चयन करने वाले आयोगों, समितियों एवं बोर्डों को अपने यहाँ तकनीकी आधारभूत संरचना का निर्माण करना होगा। जिसमें अध्यापक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार अथवा कक्षा-कक्ष प्रदर्शन का परीक्षण या आकलन आसानी से एवं पारदर्शिता के साथ किया जा सके।
- अध्यापकों के सतत पेशेवर विकास के लिए विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म— दीक्षा एवं निष्ठा को प्रभावी रूप से उपयोग में लाने के लिए डायट की कार्यप्रणाली को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। डायट संबंधित जिले में सेवाकालीन प्रशिक्षण के अंतर्गत समस्त अध्यापकों की आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करे एवं संचालित करे तथा विद्यालयी अध्यापकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण में आ रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु उपचारात्मक प्रशिक्षण आयोजित करे।
- सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी. 4) के आलोक में अध्यापक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाई जाए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के निर्माण में भारतीय दर्शन, भारतीय मनोविज्ञान एवं प्रासंगिक भारतीय ज्ञान परंपराओं के उन मूल तत्वों को सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है, जो भावी अध्यापकों एवं भावी अध्यापक-प्राध्यापकों में भारतीयता का बोध विकसित कर सके। इसमें पाश्चात्य दर्शन व मनोविज्ञान के अप्रासंगिक एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुपयुक्त विचारों व सिद्धांतों का समावेश न हो, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है।
- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की अध्यापक शिक्षा से जुड़ी सिफ़ारिशों का प्रभावी क्रियान्वयन करने हेतु आगामी कार्यों को स्पष्ट रूप से

चिह्नित व परिभाषित करते हुए सेवा-पूर्व व सेवारत अध्यापक शिक्षा से जुड़ी राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर की सभी संस्थाओं, यथा— एन.सी.टी.ई., एन.सी.ई.आर.टी., एस.सी.ई.आर.टी., शिक्षा विभाग (विश्वविद्यालय), सी.टी.ई., आई.ए.एस.ई., डायट को ज़िम्मेदारियों का आवंटन किया जाए, जिसमें संबंधित कार्य को पूरा करने की समय सीमा भी उल्लिखित हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा अभी तक अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में की गई पहलें

- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* को प्रभावशाली रूप से लागू करने के लिए 'सार्थक' नाम से दो भागों में महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जारी किए गए हैं। जिसमें नीति की सिफ़ारिशों को लागू करने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना दी गई है। जिसमें संबंधित संस्थानों व विभागों को दायित्व आवंटित करते हुए समय सीमा भी तय की गई है।
- भारत सरकार ने देश के 50 विश्वविद्यालयों में चार वर्षीय एकीकृत बी.एड. पाठ्यक्रम को वर्ष 2022 से संचालित करने की घोषणा की है। बी.एड. के तीनों प्रारूपों (चार वर्षीय एकीकृत, दो वर्षीय तथा एक वर्षीय) हेतु पाठ्यचर्या निर्माण हेतु विशेषज्ञ समितियों का गठन किया गया है और यह समितियाँ पाठ्यचर्या निर्माण के कार्य कर रही हैं।
- देश भर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म— निष्ठा एवं दीक्षा पर विद्यालयी अध्यापकों का प्रशिक्षण, व्यवस्थित और प्रभावी रूप में क्रियान्वित हो रहा है।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा विद्यालयी अध्यापकों हेतु 'नेशनल प्रोफेशनल स्टेंडर्ड्स फॉर टीचर्स (एन.पी.एस.टी.) के प्रारंभिक ड्राफ्ट का निर्माण कर इसे सार्वजनिक किया गया है। इस ड्राफ्ट पर सुझाव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस ड्राफ्ट पर देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में ओपन हाउस डिस्कशन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर इस ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एन.टी.ए.) से संपर्क स्थापित करके बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के प्रारूप, प्रवेश परीक्षा की विषयवस्तु एवं प्रवेश प्रक्रिया इत्यादि मुद्दों पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफ़ारिशों एवं प्रावधानों का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि इसे भारतीय शिक्षा की मूलभूत समस्याओं एवं अध्यापक शिक्षा के चुनौतीपूर्ण मुद्दों का विश्लेषण कर अंतिम रूप से तैयार किया गया है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* भारतीय समाज के मूलभूत स्वभाव का पोषण एवं संवर्धन करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसमें शिक्षा को समावेशी, गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं तकनीकी से युक्त बनाने हेतु कई आवश्यक व महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें की गई हैं। शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज को बेहतर एवं सर्वोत्कृष्ट बनाने हेतु अध्यापक शिक्षा को केंद्र में रखकर उसे सुदृढ़ बनाने तथा अध्यापकों की सेवा शर्तों को बेहतर बनाने हेतु बहुत ही स्पष्ट एवं विशिष्ट सिफ़ारिशें उल्लिखित की गई हैं। इन सिफ़ारिशों के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। ऐसे पाठ्यक्रमों की स्पष्ट चर्चा की गई है, जो शिक्षण पेशे

को आकर्षक बनाते हुए अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। अध्यापक शिक्षा संस्थानों का आधारभूत ढाँचा एवं शैक्षिक वातावरण भी बहु-विषयक, एकीकृत एवं शैक्षिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए कई सिफ़ारिशें की गई हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ सार्थक (SARTHAQ) में *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* को लागू करने की सुस्पष्ट योजना प्रस्तुत की गई है। इसी के आधार पर शिक्षा की महत्वपूर्ण संस्थाएँ, संगठन एवं विभाग कार्य करना आरंभ कर चुके हैं। अध्यापक शिक्षा से जुड़ी कई पहलें धरातल स्तर पर लागू होते हुए दिखाई दे रही हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि चरणबद्ध तरीके से *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* की महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों के लागू होने पर देश की अध्यापक शिक्षा व अध्यापकों की स्थिति में गुणात्मक सुधार होगा और यही गुणात्मक सुधार भारतीय समाज की समृद्धि एवं पुनरुत्थान का मुख्य आधार बनेगा।

संदर्भ

गफ्फूर अब्दुल पी.के. और सी. नसीमा. 2001. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन.सी.टी.ई. नोर्म्स— टाइम फॉर रिथिंकिंग. *यूनिवर्सिटी न्यूज़*. 39(9). फरवरी 26, 2021.

गोगेट एस.बी. 1985. टीचर एजुकेशन इन मराठवाडा— ए केस स्टडी प्रीपेयर्ड फॉर द प्रोजेक्ट. *ए स्टडी ऑफ रीइम्बैलेंस इन वोकेशनल एजुकेशन एंड मैनपावर प्लानिंग इन मराठवाडा*. स्वामी रामतीर्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट. औरंगाबाद. *सर्वे ऑफ एजुकेशनल रिसर्च*. एम.बी. बुच वॉल्यूम 2. पृष्ठ संख्या 938–939.

नागपुरे वी.आर. 1991. *ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन एट द सेकंडरी लेवल इन महाराष्ट्र*. पीएच. डी. एजुकेशन. यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुणे.

भट्टाचार्या, जी.सी. 2020. *अध्यापक शिक्षा*. विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2012. *रिपोर्ट ऑफ द हाइ पावर्ड कमीशन ऑन टीचर एजुकेशन कान्स्टीट्यूटेड बाय आनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया*. वॉल्यूम 1. विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षारता विभाग. भारत सरकार, नई दिल्ली.

_____. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

रेडी सी.पी. 1991. *क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ़ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स इन आंध्र प्रदेश*. पीएच.डी. एजुकेशन. ओसमानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद.

सिंह पी. 2013. *अनुदान प्राप्त एवं वित्तपोषित अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं का व्यष्टि अध्ययन*. पीएच.डी. एजुकेशन. महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी.

वेबसाइट्स

https://www.education.gov.in/en 7 मार्च 2022 को देखी गई।

http://ncert.nic.in/ 7 मार्च 2022 को देखी गई।

https://ctet.nic.in/webinfo/File/ViewFile?FileId=21&LangId=P 7 मार्च 2022 को देखी गई।